अपील सूचना अधिकार संख्या 25/2018(आरसीएमएस 2018/00076) रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2018 द्वारा तीन बिन्दुओं की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता) से चाही थी, जो उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से ढाई सौ रूपये जुर्माना लगाया जाये एवं चाही गई सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2018 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर क्रमांक एफ 1(14) सतर्कता (1903) 2018 दिनांक 18.01.18 मुख्यकार्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्री गंगानगर विषयः परिवादी रामचन्द्र पुत्र लालाराम ब्राह्मण प्रार्थना पत्र कैटल शैड मय पक्का खाला निर्माण जोगेन्द्र सिंह पुत्र बन्तासिंह अपात्र को सरकारी योजना का लाभ दिया गया जांच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित शुदा नकल

2. कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर क्रमाक एफ1(14) सतर्कता(1684) विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर

सा/-
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विषय– परिवादी रामचन्द्र पुत्र लालाराम का प्रार्थना पत्र पंचायत प्रसार अधिकारी पं. स. रायसिंहनगर पैमाइश की गई प्रार्थी के पुश्तैनी प्लाट नम्बर 18 पर पड़ोसी द्वारा अवैध निर्माण करना पाया गया लेकिन पैमाइश के दौरान निशान देही नही दी, न अवैध निर्माण को चिन्हीत किया, ना ही निर्माण करने से आगे रोका गया। पत्र में अकिंत तथ्यो की जांच/प्रतिवेदन तथ्यात्मक रिर्पोट की प्रमाणित शुदा नकल

3. कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर क्रमाक एफ1(14)सर्तकता(1902) दिनांक 18.01.18 विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर विषय– परिवादी रामचन्द्र पुत्र लालाराम प्रार्थना पत्र नरेगा कार्य खाला पटड़ा सुधारीकरण 20 मुरबा गांव खांटा मस्ट्रोल संख्या 16860 दिनांक 06.12.2016 से 20.12.2016 सुखजीत कौर जॉब कार्ड 98 बादल सिंह जॉब कार्ड 57 आदि कार्य में बिना उपस्थिति फर्जी हाजरी लगाकर 15840/– रूपये भुगतान की तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल।`

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 36384–87 दिनांक 21.03.2018 से निम्न प्रकार से सूचित किया गया :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण मूल रामचन्द्र पुत्र लालाराम का सूचना के अधिकार में प्राप्त प्रार्थना पत्र आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

इस कार्यालय से मूल प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही व रिपोर्ट हेतु पत्रांक 35969 दिनांक 18.01.2018 मुख्य कार्यकारी अधि. जिला परिषद श्रीगंगानगर व पत्रांक 3898/13.06.2017 35967/18.01.18 से मूल प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही व रिपोर्ट हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर हो प्रेषित किये गये है।

सूचनाएं प्रार्थी को देते हुए इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो उसके पास निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर से है, जिसके सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र उक्त लोक सूचना अधिकारियों को पत्र दिनांक 21.03.2018 के द्वारा प्रेषित किये है और उसकी सूचना भी अपीलार्थी को दिनांक 21.03.2018 के द्वारा दी गई है। चूंकि जिला कलक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसकी सूचनाओं के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.03.2018 द्वारा सूचित किया जा चुका है, इसलिए अपीलार्थी को उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में उक्त लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष ही अपनी अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी नहीं हैं इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को इनके विरूद्ध अपील **सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वे अपने द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो यह आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर